Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: 7.866, Volume 15, No. 04, October-December, 2025, pp. 158-163

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला उत्थान हेतु संचालित मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मीनाक्षी करयाम[1]* एवं डॉ. एस.के. खटीक[2]

[1]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।
[2]प्राध्यापक एवं पूर्व विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश।

*Corresponding Author: minakshimarkam4@gmail.com

***Citation**: मीनाक्षी करयाम एवं एस.के. खटीक. (2025). मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला उत्थान हेतु संचालित मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 15(04), 158–163.*

सार

मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत समाज में विपरीत परिस्थितियों के कारण देह व्यापार, अपराध एवं बलात्कार कारण से पीड़ित महिलाएं तथा अपराध के कारण जेल में बंद रहने वाली महिलाओं तथा ऐसी महिलाएं जिन्हें पति द्वारा तलाक दिए जाने के कारण जीवन व्यापन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, ऐसी सभी महिलाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। परंतु सरकार द्वारा उनके जीवन व्यापन एवं समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत समाज मे पीडित महिलाओं की सहायता हेतु सरकार द्वारा लाखो रुपये का बजट में प्रावधान की गई राशि के व्यय करने से इस प्रकार की पीड़ित महिलाओ में सुधार हुआ है तथा महिलाओं की संख्या में अधिक वृद्धि हो रही हैं। ये योजना पीडित महिलाओं के लिए सार्थक सिद्ध हो रही हैं।

***शब्दकोश:** महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, खेल जगत, रूढ़िवादी विचारधारा और सामाजिक मान्यता।*

JEL CODE: A10, A13, A14, D60, D61

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र, देश एवं राज्य के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है और किसी भी राष्ट्रीय एवं राज्य को समझने के लिए और जानने का कार्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक की महिलाओं की स्थिति पर विचार न किया जाए। आज समाज भले ही शिक्षित क्यों ना हो किंतु आज भी महिलाओं के प्रति समाज की निम्न सोच रही है, जिसके कारण महिलाओं और पुरुष के जन्म दर में अंतर पाया गया है। जो महिलाओं को सशक्तिकरण न हो पाने पर विचारणीय करता है। समाज ने हमेशा से ही महिलाओं का खुलकर समर्थन नहीं किया, जिसके कारण महिलाओं को समाज में अच्छा मान सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया है। महिला एवं पुरुष गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं, जिसके बिना कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता है। महिलाओं का महत्व राष्ट्र के विकास में उतना ही है जितना कि पुरुषों का। महिलाओं के योगदान जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

में स्वीकार किया गया है, जिससे महिलाओं का विकास देश के संपूर्ण विकास और सशक्तिकरण के बगैर संभव नहीं है। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत में महिलाओं आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान रहा है। समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता है जब तक समाज के सभी वर्ग उन्नति न करें। इसलिए महिला सशक्तिकरण एक नई दिशा की ओर अर्थात एक पक्ष के रूप में सामने आया है। महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि महिलाओं को एक अवसर के रूप में स्वतंत्रता मिले जो समाज की रूढ़िवादी विचारधारा और सामाजिक मान्यताओं के रूप में न हो। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अवसर दिए जाएं जिससे समाज में उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सके, किंतु आज भी समाज में ऐसा नहीं हो पाया है। स्त्रियों के बारे में मान्यताएं क्यों नहीं बदल पा रही है। सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाएं स्वयं निर्णय ले और उनके निर्णय को अमल में लाया जाए, जो समाज उन निर्णय को स्वीकार कर सके। जिससे विभिन्न वर्गों के समाज तक इस निर्णय को पहुंचाया जा सके। किसी भी काम में स्त्री की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए ताकि वह अपने माता–पिता, पति, बेटे पर निर्भर न हो सके। कोई भी घर, परिवार और समाज किसी भी विचार पर अपनी बात रखता है तो महिला को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार लैंगिक अंतर के आधार पर महिला और पुरुष को अलग किया गया है। पुरुष वर्ग ने महिला की जो सिद्धांत वादी छवि निर्मित की है उसे तोड़ना जरूरी है, क्योंकि यहां महिलाओं पर लादा गया है। इस सिद्धांत के पीछे महिलाओं के प्रति भेदभाव, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मूल्य है, इस मूल के भीतर लैंगिक भेदभाव है। स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न–भिन्न अर्थों में ही न्याय और स्वीकृति मिलनी चाहिए ताकि वह सशक्तिकरण संभव हो सके। यह योजना राज्य शासित योजना में से एक है। इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में सितंबर 2013 में प्रारंभ किया गया। इस योजना के अनुसार किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं को जो परिवार की ओर से सहायता प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण महिलाएं अपना जीवन यापन करना चाहती हैं परंतु उसके चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं। महिलाओं को भिन्न–भिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाएं जो भिन्न–भिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से ग्रसित रहती हैं जैसे जेल से रहा महिलाएं जिन्हें अपराध करने पर जेल एवं कारावास की सजा मिलती है। बलात्कार से पीड़ित महिला, दुर्व्यवहार से बचाई गई महिलाएं, आश्रम ग्रह में रहने वाली किशोरियों एवं महिलाएं आदि ऐसे महिलाओं को कभी भी अपने परिवार और समाज से सहायता प्राप्त नहीं होती है। जिससे वहां जीवन यापन कर सके। पीड़ित महिलाएं, असहाय, विपरीत स्थिति, निराश्रित महिलाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। समाजमें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाये।

शोध विषय के अध्ययन का औचित्य

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित महिला उत्थान हेतु महिला सशक्तिकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं समाज से वंचित महिलाओं को अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना है, क्योंकि यह महिलाएं समाज की विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करती हैं । इस योजना के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना ताकि उनको सशक्तिकरण कर स्वयं की पहचान बनाने में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल का विकास एवं प्रशिक्षण दे सकें। अतः यह शोध विषय के अध्ययन में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

जुर्रि.व्ही.एम.(2001): जनजातीय महिलाओं की शिक्षा रोजगार तथा व्यावसायिक परिवर्तन का एक अध्ययन दृ इस शोध अध्ययन का निष्कर्ष है कि आदिवासी महिलाओं में विकास के लिए शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार, व्यवसाय आदि में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बताए गए कार्यक्रमों की जानकारी का

विश्लेषण किया गया है। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ है की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों को सूचना माध्यमों की कमी के कारण कार्यक्रमों की जानकारी नहीं मिल पाती है।

मिश्रा (डॉ) आर.के.(2011): राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी 2011, भोपाल मध्य प्रदेशदृ इस अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा पर है। बलात्कार, छेड़छाड़ दहेज प्रथा, योन उत्पीड़न, प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनाएं आज भी घटित हो रही है। प्राचीन युग से वर्तमान युग में उत्पीड़न की मात्रा बढ़ती जा रही है लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ है। यह घर विडंबना है कि 21वीं सदी के लोकतंत्र में नाबालिक या बालिका अकेली महिला भी सुरक्षित नहीं है। इस और सरकार व समाज को कारगर कदम उठाने चाहिए।

शर्मा कविता (2012): स्त्री सशक्तिकरण के आयाम–राष्ट्रीय क्षितिज पर जितने भी सुधारवादी आंदोलन चले हैं,महिलाओं को उचित स्थान व सम्मान दिलाने पर था। इस दिशा में अनेक समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने कारगर कार्य किया। लेकिन महिलाओं का स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी मिली इसके लिए कोई खास प्रयास नहीं हुए हैं। इस पहल पर पहली बार महिलाएं बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुई है। उन्होंने अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध की है।

श्रीवास्तव(डॉ) मीनाक्षी (2012): कामकाजी महिलाओ की वास्तविक स्थिति– आज भारत में कार्यशील महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घरों से निकाल कर रोजगार के क्षेत्र में कदम रख रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उच्च या मध्यम स्तर पर कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या कम है जबकि निम्न और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है। सशक्तिकरण से श्रमिक महिलाएं दूर हैं। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन्हें भी मध्यम और उच्च स्तर पर कामयाब महिला बनाने का अथक प्रयास किया जिसका उदाहरण उनकी विभिन्न योजनाएं हैं। जिससे महिलाओं ने काफी उन्नति की है।

यादव चंद्रभान (2013): महिलाओं की संबलता का सशक्त माध्यम स्वयं सहायता समूह, कुरुक्षेत्र पत्रिकादृ लेखक ने महिलाओं की संबलता का सशक्त माध्यम स्वयं सहायता समूह के अध्ययन में पाया है की महिलाओं को आर्थिक रूप से संभल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस प्रयास की सार्थकता भी सामने आ रही है। स्वयं सहायता समूह का गठन कर शहर से लेकर गांव तक अपनी साख कायम करने में जुटी हुई है। इसके माध्यम से महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं। समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक दोनों तरह से विकास हो रहा है।

शोध विषय के अध्ययन के उद्देश्य

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत शोध विषय के अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं कासमाज में विभिन्नपरिस्थिति का अध्ययन।
- मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का अध्ययन।

शोध विषय के अध्ययन की परिकल्पनाएं

शोध विषय के अध्ययन में ली गई शून्य परिकल्पना इस प्रकार :–

- मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई आवंटन राशि और व्यय राशि में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विषय के अध्ययन की शोध संरचना/प्रविधि

इस शोध कार्य को करने के लिए समंको एवं साहित्य की आवश्यकता होती है। शोध कार्य करने के लिए समंको एवं साहित्य की आवश्यकता है। इस शोध कार्य में द्वितीय समंकका उपयोग किया गया है, इसके प्रमुख स्रोत बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, सांख्यिकीय प्रतिवेदन, प्रकाशित दस्तावेज एवं इंटरनेट है। इस शोध अध्ययन के लिए शोध विषय के उद्देश्य का अध्ययन भी किया गया तथा शोध विषय में ली गई शून्य परिकल्पना का परीक्षण स्टूडेंटटीटेस्ट के माध्यम से किया गया है। यह शोध विषय के अध्ययन में दी गई परिकल्पना सार्थक रही है अथवा नहीं रही है।

शोध विषय के अध्ययन की सीमाएं

शोध विषय के अध्ययन की सीमाएं निम्नलिखित हैः–

- पर्याप्त शोध साहित्य एवं समंकों का अभाव है।
- इस शोध कार्य में अधिकांश द्वितीय समंको का उपयोग किया गया है।
- इस समंककी विश्वसनीयता अंकेक्षण पर निर्भर करती है।
- समंकोका वर्गीकरण, सामूहिकरण शोध विषय के अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार है।
- इस शोध अध्ययन में सीमित समय अवधि का अध्ययन किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2024 –25 तक लिया गया है।

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन–

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण का प्रारंभ मध्य प्रदेश में सितंबर 2013 में किया गया। यह योजना राज्य शासित योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह के हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परिवार की तरफ से सहायता नहीं मिलती है, जिनके कारण जीवन यापन करने में सभी तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं। महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों के लिए परिवार और समाज में पुनर्स्थापित होने के विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। महिलाऐं विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित रहती है जैसे जेल से रिहा महिलाएं, एसिड अटैक विक्टिम, बलात्कार से पीड़ित महिला और बालिका, अग्नि पीड़िता, दुर्व्यवहार से बचाई गई महिला एवं बालिकाएं, बाल विवाह, आश्रय गृहों में निवासरत बालिका एवं महिला आदि। यह ऐसी महिला व बालिका होती है जो इन परिस्थितियों के कारण अपने परिवार और समाज से सहायता प्राप्त नहीं कर सकती है अतः परिवार वाले उनका साथ नहीं देते हैं। इन सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य है एवं उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर प्रशिक्षण व आत्मनिर्भर बनाना है।

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही महिला सशक्तिकरण योजना के आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 2015–16 से 2024–25 तक के आंकड़े आवंटन राशि तथा व्यय राशि प्रदर्शित की गई है। यह आंकड़े मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग से लिया गया है। यह विभाग सभी योजनाओं को अपने पास वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा प्रदर्शित करती है। उसमें से मुख्य मंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है जिसकी तालिका इस प्रकार है।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आवंटन राशि एवं व्यय राशि

(रुपए लाखों में)

वर्ष	आवंटन राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
2015-16	200.00	92.26
2016-17	200.00	95.36
2017-18	100.00	76.31
2018-19	100.00	79.21
2019- 20	90.93	67.23
2020-21	90.93	67.64
2021-22	90.93	67.89
2022 -23	90.00	67.83
2023-24	90.00	70.00
2024-25	90.00	75.02

स्रोतः– महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र., वार्षिक प्रतिवेदन 2015–16 से 2024– 25 तक

व्याख्या

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के आंकड़े इस तालिका में दिए गए हैं, जिसमें आवंटन राशि एवं व्यय राशि के आंकड़े रखे गए हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में आवंटन राशि 200.00 लाख रुपए हैं तथा 2016–17 में 200 लाख रुपए हैं। वर्ष 2017–18 तथा वर्ष 2018–19 में 100.00 लाख रुपए हैं जो गत वर्ष की तुलना में कम है। वर्ष 2019–20 में 90.93 लाख रुपए तथा वर्ष 2020–21 में 90.93 लाख रुपये आवंटित है जो गत वर्ष की तुलना में कम है। वर्ष 2021–22 से वर्ष 2024– 25 तक आवंटन राशि 90.00 लाख रुपए हैं। जो गत वर्ष की तुलना में कमी देखी जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत व्यय की राशि का वर्णन किया गया है। वर्ष 2015–16 में 92.26 लाखरुपये खर्च की राशि गई थी। वर्ष 2016–17 में 95.36 लाख रुपये राशि खर्च की गई थी जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2017–18 में 76.31 लाख रुपये है जो गत वर्ष की तुलना में कम है। वर्ष 2018–19 में 79.21 लाख रुपये है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2019–20 में 67.23 लाख है जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। वर्ष 2020–21 में 67.64 लाख रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2021–22 में 67. 89 लाख रुपये हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2022–23 में 67.83 लाख रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खर्च किए गए हैं। वर्ष 2023– 24 में 70.00 लाख रुपये हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खर्च किए गए हैं। वर्ष 2024– 25 में 75.02 लाख रुपए हैं गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक खर्च किए गए हैं।

शोध विषय के अध्ययन में ली गई परिकल्पना का परीक्षण

शून्य परिकल्पना

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटन राशि एवं व्यय राशि में सार्थक अंतर नहीं है।

r = +0.69

$t = \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \times \sqrt{n-2}$

t =2.69

t005 = 3.35

t005 >t

अवलोकन

शोध विषय के अध्ययन के अंतर्गत ली गई शून्य परिकल्पना का परिकल्पित मान 2.69 है जबकि सारणीयनमान 3.35 है। अतः शोध विषय के अध्ययन में ली गई परिकल्पना सार्थक एवं स्वीकार्य है। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु संचालित मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में सरकार द्वारा आवंटन राशि एवं व्यय राशि में सार्थक अंतर नहीं है अतः बजट में आवंटन राशि का अधिकांश भाग महिला सशक्तिकरण पर खर्च हो रहा है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विपरीत परिस्थिति की सहायता, अज्ञानतावश, अपराध में संलग्न होने से जेल में बंद रहना आदि विपरीत परिस्थिति, बलात्कार, देह व्यापार से बचाई गई बालिकाएं एवं महिलाएं जिसको समाज और परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं होता है।जिसके कारण उनके जीवन यापन करने में परेशानी होती है। इन महिलाओं को परिवार और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। जीवन में सुधार लाना तथा घरेलू हिंसा से सुरक्षा व संरक्षण के लिए 24 घंटे सहायता उपलब्ध कराना। इन महिलाओं को सहायता केंद्र में गोपनीयता को बनाए रखना। इस योजना में सरकार ने लाखों रुपये खर्च किए हैं। यह योजना महिलाओं के घरेलू हिंसा को कम करने में तथा आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक रही है।

सुझाव

मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित महिला उत्थान हेतु मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। सरकार द्वारा संचालित योजना में हितग्राही की संख्या में वृद्धि देखते हुए आवंटन राशि एवं व्यय राशि में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि महिलाओं का ओर अधिक विकास हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जुर्रीव्ही.एम. (2001) "जनजातीय महिलाओं की शिक्षा रोजगार तथा व्यावसायिक परिवर्तन का एक अध्ययन"।
2. छिल्लर डॉ. मंजूलता (2010)" भारतीय नारी शोषण के बदलते आयाम" अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
3. मिश्रा (डॉ) आर.के. (2011)" राष्ट्रीय संगोष्ठी संगठन 2011, भोपाल (म.प्र)"
4. शर्मा कविता (2012)" स्त्री सशक्तिकरण के आयाम"
5. श्रीवास्तव (डॉ) मीनाक्षी (2012) "कामकाजी महिलाएं वास्तविक स्थिति"
6. चतुर्वेदी प्रतिमा (2012)" भारत में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण"
7. यादव चंद्र मोहन (2013)" महिलाओं की संबलता का सशक्त माध्यम स्वयं सहायता समूह, कुरुक्षेत्र"
8. चौधरी, डॉ. कृष्णा(2013)" महिला सशक्तिकरण ग्रामीण विकास परियोजना कुरुक्षेत्र पत्रीका अगस्त "
9. चौहान डॉ. श्याम सुंदर सिंह (2014)" महिलाओं का राजनीति सशक्तिकरण" प्रतियोगिता दर्पण
10. डॉ. ममता, प्रो.आभा आहूजा(2010)" घरेलू हिंसा अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता, रीगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली

वेबसाइट

11. www.mpwcdmis.gov.in
12. www.censusindia.gov.in

❑❑❑